फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)

अनवानी राणेखां बनाम स्टेट आदि

किस्म मुकदमा धारा 8(2) राज.उप.अधिनियम **मु.न. 208/2025**

हुक्म कार्यवाही विवरण

[illegible].2025

पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वां व अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। दौरानें बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 एमडब्ल्यूएम ए के प.न. 144/362 मु.न. 41 कि.न. 1/1/.025, 10/1/.025, 11/1/.025, 20/1/.025 में पश्चिमी ओर उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में दो गट्ठा रास्ता स्वीकृत है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते का रिकार्ड में निरस्त करवाकर प्रार्थी के नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता को मुमकिन कर प्रार्थीगण को खातेदारी प्रदान की जावें। उक्त रास्ता कभी नहीं चला है तथा उक्त रास्ते की कभी आवश्यकता भी नहीं रही तथा ना ही कोई उपयोगिता है। राज पैरोकार द्वारा दौरानें बहस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए भविष्य में रास्ते की आवश्यक्ता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना खारिज करनें हेतु निवेदन किया।

समायत बहस का मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के क्रम सं. 1 रूपनारायण के विधिक प्रतिनिधि बनाम राज्य 1992 आर.आर.डी 496, क्रम सं. 2 शंकरसिंह बनाम गोगीदेवी आर.बी.जे (20) 2013 पेज 309, क्रम सं. 3 रमेश चंद बनाम मोहरसिंह आर.आर.टी. 2018(1) पेज 592 का न्यायिक मस्तिक से अध्ययन किया व बाद अध्ययन पाया कि शर्त संख्या 8 (2) 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रास्ता स्वीकृत कर सकता है, परन्तु गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार सड़क तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। प्रश्नगत रास्ता राज्य सरकार का है। इसको निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग हेतु राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जिसकी मालिक राज्य सरकार है। जिसमें सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त न्यायायिक दृष्टान्तों की अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होने व क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनाक [illegible].0[illegible].2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ